न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.)सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 12/2019

वादी:—

1. सोहनसिंह पुत्र श्री भोपसिंह जाति राजपूत निवासी देवलीयाली तहसील समदडी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. लच्छीया पुत्र जेठा जति रबारी का कायम मुकाम उत्तराधिकारी पांचाराम गोद पुत्र लच्छाराम जाति रबारी निवासी देवलीयाली तहसील समदडी जिला बाडमेर
2. गणपतराम पुत्र दुर्गाराम जाति चौधरी निवासी समदडी जिला बाडमेर
3. जोधाराम पुत्र ओकाराम जति चौधरी निवासी सेवाली तहसील समदडी जिला बाडमेर
4. भीमाराम पुत्र जोधाराम जाति चौधरी निवासी सेवाली तहसील समदडी जिला बाडमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी
6. हल्का पटवारी पटवार हल्का सिलोर तहसील समदडी

वादपत्र बाबत् घोषणा

उपरिथत:—

1. श्री उम्मेद सिंह चम्पावत अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित
3. श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता प्रतिवादी, सं. 2 से 4 की ओर से
4. प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित

:: निर्णय::

दिनांक:— 18.01.21

वादी की ओर से दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि गांव देवलीयाली पटवार हल्का सिलोर तहसील समदडी में खेत खातेदारी भूमि खसरा नं 65 रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा आई हुई है जिसमें वादी का वक्त सैटलमेन्ट से कब्जा काश्त है, उक्त खेत खेरादी वाला खेत के नाम से जाना जाता है जिसमें लछिया पुत्र जेठा का कोई कब्जा काश्त नहीं था। वादी के पिता भोमसिंह एक अनपढ देहाती व्यक्ति [illegible] राजस्व रेकर्ड की ओर ध्यान नहीं दिया, न ही किसी भी व्यक्ति ने [illegible] कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया वादी के पिता का अल्प आयु में देहान्त हो गया,वादी का उक्त [illegible] जायदाद पर कब्जा है उसमें एक कमरा बना हुआ है, वादी आज भी काश्त कर रहा है, दिनांक 01—10—2011 को वादी अपने खेत पर बैठा था तब प्रतिवादी सं0 2 गणपतराम वादग्रस्त जमीन पर आया और कहा कि मैंने यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लछिया पुत्र जेठा से खरीद की है, तब राजस्व रिकार्ड

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:05:15 IST
Reason: SelfAttested

में पता किया तो उपरोक्त वादग्रस्त जायदाद/जमीन का म्यूटेशन सं0 28 लछिया के नाम दर्ज किया गया, तब वादी द्वारा दस्तावेजात प्राप्त किये गये वगैरह का वर्णन किया गया,तथा दावा पेश कर दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, बाद तामील प्रतिवादीगण सं. 02 से 04 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी. पी. सी. पेश किया गया जिसका आज निस्तारण किया जा रहा है।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. का जवाब पेश किया गया तथा जवाब प्रार्थना पत्र व वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी के पूर्वजों का उक्त भूमि पर कब्जा था. वक्त सेटलमेंन्ट भूमि वादी के पिता भोपसिंह के नाम थी,जिसके दस्तावेजात पत्रावली के साथ पेश किये है, वादी ने बहस को दोहराते हुए कहा कि प्रतिवादी गणपतराम ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलावट कर म्युटेशन लछिया के नाम भरवाया गया है तथा उसके बाद कूटरचित व मनगड़ंत कर अपने नाम रजिस्टर्ड बेचाननामा करवाया है जो झुठा है। वादी द्वारा पूर्व में जो वाद पेश किया गया थावो अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए विड्रो किया था, जिसके पक्ष में वादी ने अपने वाद अधिकारों को सुरक्षित रखने बाबत एक शपथपत्र पेश किया है। वादी का उक्त वादग्रस्त भूमि पर आज भी वादी के कब्जे काश्त में है। वादग्रगस्त भूमि पर वादी का एक पक्का कमरा बनवाया है,और कृषि के औजार भी पड़े है। उक्त भूमिवादी के पिता के भोपसिंह के नाम की थी, और भोपसिंह एक अनपढ व्यक्ति था, जिसने राजस्व रिकार्ड की ओर ध्यान नहीं दिया नही वादी के पिता के कब्जे काश्त में किसी शख्स ने हस्तक्षेप किया, इस प्रकार वादी का संवत 2011 से कब्जा काश्त है, संवत् 2021 में वादी के पिता भोपसिंह का देहान्त हो गया तब वादी की अल्प आयु थी, वादी के पिता द्वारा अपने जीवन काल में उक्त वादग्रस्त भूमि का किसी भी व्यक्ति को बेचान, बख्शीश या वसीयत, हस्तान्तरण नहीं की थी। जब वादी को म्युटेशन लछिया के पक्ष में होने की जानकारी हुई तब वादी द्वारा म्युटेशन सं0 28 व म्युटेशन सं0 146 की अपील श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सिवाना के समक्ष पेश की जो वादी के पक्ष में स्वीकार फरमाई गई,तथा उक्त आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में अपील पेश की गई उक्त आदेश के विरुद्ध वादी द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में पेश की गई जिसमें आदेश पारित किया गया कि वास्तविक अधिकार नियमित वाद में तय किये जा सकते है। इसलिए वादी द्वारा यह वाद खातेदारी के आधार पर पेश किया गया है। वादी द्वारा बहस में दोहराया कि प्रतिवादी द्वारा दावे में जबाबदावा तो पेश किया लेकिन प्रतिवादी का कोई

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर (SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:05:15 IST
Reason: SelfAttested

काउन्टर क्लेम पेश नहीं है। वादी सिविल न्यायालय में सेल डीड केन्सल करवाने इसलिये नहीं गया कि वादी का उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त है तथा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अमल दरामद है। इसलिये प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारीज किया जावे।वादी द्वारा उक्त बहस के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांन्त पेश किये गये।

प्रतिवादी सं0 02 व 04 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा जो वाद पेश किया गया है वह कानूनी बिन्दुओं के विपरित जाकर रेसज्युडिकेटा सिद्धान्तों से वाधित है इसलिए खारिज किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी सं 02 से 04 द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि वक्त सेटलमेन्ट के समय ग्राम देवलीयाली पटवार हल्का सिलोर के खेत खसरा नं0 65 रकबा38 बीघा 10 विस्वा लछिया पुत्र जेठा के नाम दर्ज था जिसका वर्णन जमाबन्दी संवत 2015 से 2018 में इन्द्राज है। जमाबन्दी संवत 2015 का अवलोकन करने से वादी के पिता का कृषक के तौर पर जमाबन्दी में नाम दर्ज है। खसरा सं0 65 पर वादी भोपसिंह का कब्जा व काश्त नहीं था उस समय की गिरदावरी से स्पष्ट सिद्ध होता है। वास्तविक काश्त के आधाार पर प्रतिवादी सं0 01 को खातेदारी दी गई जिसमें कोई त्रुटि नहीं है उक्त खातेदारी के आधार पर म्युटेशन सं0 28 लछिया के नाम दर्ज किया गया। वादी द्वारा अपने बहस में कहा था कि लछिया का देहान्त 17–06–1994 को गया था जो झूठा है राज0 सरकार के राशन कार्ड परिचय पत्र इन्द्राज रजिस्टर्ड के कम सं. 110 में दिनांक 06–06–1996 को लछिया जीवित था जिसका इन्द्राज दर्ज है। प्रतिवादी सं0 02 के पक्ष में लछिया द्वारा बेचाननामा दिनांक 15–03–1996 के तहत उप पंजीयक कार्यालय सिवाना बाड़मेर में रजिस्टर्ड है बेचाननामे के आधार पर दिनांक 15–05–1996 द्वारा म्युटेशन सं0 गणपतराम प्रतिवादी सं0 02 के नाम दर्ज कर दिया गया, इसके बाद गणपतराम खातेदार होने के नाते उक्त भूमि जोधाराम पुत्र ओकाराम व भोमाराम पुत्र जोधाराम को बेचान व हस्तान्तरित कर दी गई,तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर [illegible] भोमाराम दोनो का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने यह भी [illegible] बहस में वर्णन किया कि वादग्रस्त भूमि जरिये [illegible] अधिकार प्राप्त किये हैं तथा रजिस्टर्ड सेल डीड तत्कालीन रिकोर्डेड खातेदार द्वारा निष्पादित की गई है उक्त बेचाननामे को वादी द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई बेचाननामे के प्रभावी रहते हुए प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणात्मक डिक्री प्राप्त नहीं कर सकते। स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष काश्तकारी अधिनियम में खातेदार को ही प्रदत है। इसलिये यह वाद प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:05:15 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर (S.D.O) सिवाना

सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

योग्य है। प्रतिवादी ने बहस मे निवेदन किया कि वादी ने पूर्व में प्रतिवादी सं0 01 व 02 के हक में म्युटेशन सं0 146 व म्युटेशन सं0 28 की दर्ज प्रविष्टि को म्युटेशन अपीलों के जरिये चुनौती दी थी जिस विवाद का निपटारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा हो चुका है। वादी ने मुकदमे मे हारने के बाद यह वाद प्रतिवादी को उत्पीडन व परेशान करने की नीयत से पेश किया गया है। वादी ने अपने वाद में यह प्रकट नहीं किया है कि अपने पिता की मृत्यु कब हुई तथा वह कब बालिग हुआ। म्याद अधिनयम के तहत बालिग होने की अवधि के 3 वर्ष की अवधि के भीतर ही घोषणा का कोई भी वाद ला सकता है लेकिन यह वाद लछिया पुत्र जेठा की खातेदारी होने के लगभग 61 वर्ष बाद पेश किया है इसलिये भी यह वाद म्याद अधिनयम के तहत खारिज करने योग्य है। लेकिन वादी वर्तमान में न तो खातेदार है, न ही भूमि पर वादी का कब्जा है, प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में दोहराया कि वादी का वाद रेस–ज्युडिकेटा सिद्धान्तो के तहत् खारिज करने योग्य है। घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कोई खातेदार आसामी द्वारा ही पेश किया जा सकता है, वादी वर्तमान में न तो वादग्रस्त भूमि पर खातेदार आसामी है न ही वादी का कब्जा है,वादी द्वारा पूर्व में उक्त वादग्रस्त जायदाद बाबत एक वादसं0 10/12 (घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा) सोहनसिंह बनाम गणपतराम वगैरह पेश किया गया था, जिसको जरिये विड्रोवल खारीज किया गया है, और वादी ने यह वाद पेश करते समय आदेश 23 नियम 01 उपनियम 03 के तहत न्यायालय श्रीमान से न तो अनुमति ली है और न ही उक्त वाद को नये आधारों व तथ्यों पर पेश किया है, इसलिए भी वादी का वाद आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज करने योग्य है।वादी ने अपने बहस मे कहा कि लछिया की मृत्यु हो चुकी है लेकिन ऐसा कोई मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात वादी ने पेश नहीं किये है। पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं है। वादी ने राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलावट कर मनगढंत पेश की गई है जिसकी जानकारी प्रतिवादी को नहीं है। प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त भी पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Choudhari
Date: 2022.01.07 14:05:15 IST
Reason: SetAttested

राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि का वादी रिकार्डेड खातेदार नहीं है तथा के पिता की मृत्यु बाबत कोई दस्तावेजात पेश नहीं है। उक्त वादग्रस्त जायदाद बाबत पूर्व वाद श्रीमान के न्यायालय द्वारा जरिये विड्रो खारिज किया जा चुका है। राज0 काश्तकारी अधिनियम के अनुसार वास्तविक वाद रिकार्डेड खातेदार द्वारा ही पेश किया जा सकता है इसलिये यह वाद रेस–ज्युडिकेटा के सिद्धान्तों के तहत खारिज करने योग्य है।

सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया गया। न्यायालय की पत्रावली का भी ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, न्यायालय के रिकार्ड में वक्त सेटलमेन्ट के जमाबन्दी संवत् 2015 का अवलोकन करने से वादी के पिता बतौर कृषक थे तथा उक्त लछिया के नाम थी खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण रकबे पर काश्त लछिया पुत्र जेठा रबारी की दर्ज है। राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज0 काश्तकारी अधियम के प्रावधानों के अनुसार जो व्यक्ति अधिनियम के प्रभाव में आने के समय बतौर काश्तकार भूमि पर वास्तविक काबिज है वह खातेदारी की हैसियत रखता है। काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लछिया रबारी का वादग्रस्त भूमि में नाम दर्ज था और बतौर खातेदार के रुप मे लछिया द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 02 गणपतराम को बेचान कर दी थी जिसका राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद कर दिया गया। उक्त बेचाननामे को वादी द्वारा आज दिन तक किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती देकर खारिज नहीं करवाया गया है। इसलिये उक्त बेचाननामा आज की तारीख में प्रभाव में है तथा उक्त बेचाननामा के आधार पर प्रतिवादी सं0 02 गणपतराम ने बेचाननामे व राजस्व रिकार्ड के आधार पर खेत खसरा सं0 65 रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा जोधाराम को बेचान कर दिया और उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड आज की तारीख में जोधाराम व ओखाराम के दर्ज है और वे ही वास्तविक खातेदार है।

हमने अपीलाधीन न्यायालयों के आदेशों का भी अवलोकन किया जिसमें वास्तविक खातेदार ही वहां बहस कर सकता है। इस बावत आज की तारीख में खेत खसरा सं0 65 रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा ग्राम देवलियाली के खातेदार के रुप में दर्ज है इसलिये वादी का वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। वादी का पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा मुकदमा सं0 10/12 के आदेश दिनांक 26-05-2013 के तहत वादी का वाद जरिये विड्रो खारिज कर दिया गया था जिसमें वादी ने वाद विड्रो करने की अनुमति चाही थी तथा आगे कार्यवाही नहीं करना चाहता है ऐसा वर्णन उक्त आदेश में किया गया है। वादी को उक्त जायदाद सम्बन्धी अगर कोई वाद पेश करना होता तो वह न्यायालय से धारा 23 नियम 01 सी.पी.सी. के तहत अनुमति के प्रार्थना पत्र के साथ पेश करता लेकिन वादी ने अपने वाद में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। वादी ने पूर्व में भी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिसमें उक्त वर्णित खसरों बाबत वर्णन ही था। एक बार वाद विड्रो होने पर उसी आधारों पर वाद पुनः पेश नहीं किया जा सकता। इसलिये यह वाद रेस्ज्युडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर खारिज करने योग्य है। वादी ने

सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:05:15 IST
Reason: Self Attested

अपने वाद पत्र में भारतीय म्याद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बालिग होने की अवधि व अपने पिता की मृत्यु बाबत किसी भी प्रकार के वर्ष व दिनांक का वर्णन नहीं किया है। वादी ने यह तो वर्णन किया है कि वादी बालिग होने पर यह वाद पेश कर रहा है,विधि का यह प्रावधान है कि बालिग होने की अवधि के 3 वर्ष के भीतर ही वाद ला सकता है। लेकिन वादी द्वारा यह वाद जमाबन्दी संवत 2015 जो लछिया के नाम की है उसके 60 वर्ष बाद पेश कर रहा है जो विधि प्रावधानों के बाधित है।

हमने राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति बाबत अवलोकन किया जिसमें उक्त भूमि पर वर्तमान में जोधाराम पुत्र ओकाराम व भोपाराम पुत्र जोधाराम के नाम दर्ज है वादी रिकार्डेड खातेदार नहीं है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर वादी का वाद आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पक्षकारन खर्चा अपना–अपना वहन करे।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

आदेश आज दिनांक 10.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:05:15 IST
Reason: SelfAttested